न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट दूदू

बइजलास :– डॉ. अर्तिका शुक्ला (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 11/2018 पुनः दर्ज नम्बर 04/2023 (रसद अपील)

मैसर्स ग्राम सेवा सहकारी समिति लसाडिया विकेता उचित मूल्य दुकान ग्राम पंचायत लसाडिया तहसील फागी जिला जयपुर हाल जिला दूदू जरिये फर्म व्यवस्थापक श्री प्रभू सिंह ।

(अपीलार्थी)

बनाम

जिला रसद अधिकारी जयपुर द्वितीय जयपुर

(प्रत्यर्थी/विपक्षी)

अपील अन्तर्गत धारा 22 (1) (2) राजस्थान खाद्यान्न एवं आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 विरुद्ध आदेश जिला रसद अधिकारी जयपुर द्वितीय के प्रकरण संख्या 250/2017 निर्णय दिनांक 20.12.2017 जिसके द्वारा अपीलार्थी की उचित मूल्य की दुकान का प्राधिकार पत्र निरस्त कर धरोहर राशि 250/–रुपये जब्त सरकार करने के आदेश पारित किया गया।

उपस्थित :–

1. श्री शिवराम शर्मा / मनीज कुमार नाथावत अपीलार्थी की ओर से।
2. जिला रसद अधिकारी दूदू प्रत्यर्थी/विपक्षी की ओर से ।

निर्णय दिनांक :– 13.2.2024

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी मैसर्स ग्राम सेवा सहकारी समिति लसाडिया प्राधिकृत विकेता उचित मूल्य दुकान ग्राम पंचायत लसाडिया तहसील फागी का प्राधिकार पत्र निरस्त कर धरोहर राशि 250/– रुपये जब्त सरकार करने के आदेश से व्यथित होकर अपील पेश की गई है।

जिला कलक्टर
दूदू (राज.)

2. यह अपील जिला कलक्टर जयपुर से नवसृजित जिला दूदू के क्षेत्राधिकार की होने से पत्रावली जिला कलक्टर जयपुर से इस न्यायालय में स्थानान्तरित होने से अपील पुनः दर्ज रजिस्टर की जाकर अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी/प्रतिवादी को नोटिस जारी किया गया। तहत रिकार्ड पूर्व से ही संलग्न पत्रावली है। प्रत्यर्थी की और से जिला रसद अधिकारी दूदू उपस्थित है। अपीलार्थी की तरफ से श्री उनके अधिवक्ता श्री शिवराम शर्मा व मनोज कुमार नाथावत उपस्थित आये।

3. बहस उभयपक्ष सुनी गई।

4- अपीलार्थी के अधिवक्ता ने अपील के तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि अपीलार्थी मैसर्स ग्राम सेवा सहकारी समिति लसाडिया प्राधिकृत विक्रेता उचित मूल्य दुकान ग्राम पंचायत लसाडिया जिला दूदू का प्राधिकार धारक दुकानदार है, जिसे राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के प्रावधानो के तहत प्राधिकार पत्र मिला हुआ था । अपीलार्थी उक्त आदेश 1976 एवं प्राधिकार पत्र की शर्तो व निर्बन्धनों, सरकार के अधिसूचित आदेशो एव सक्षम अधिकारियों के निर्देशानुसार उचित मूल्य की वस्तुओ का वितरण नियमानुसार करता है। दिनांक 26.8.2017 व 7.9.2017 को प्रवर्तन अधिकारी फागी द्वारा जॉच कर 15.64 क्विंटल गेहूँ एवं 227.50 लीटर केरोसीन तेल का दुरूपयोग किया जाना बताकर मेरे विरूद्व कार्यवाही कर जिला रसद अधिकारी महोदय ने दिनांक 20.12.2017 को आदेश पारित कर मेरे प्राधिकार पत्र को निरस्त कर दिया गया है, जॉच दल ने दिनांक 26.8.2017 को निरीक्षण कर फर्द मौका तैयार कर जॉच कर ली थी लेकिन उसके बाद 10 दिन पश्चात पुनः जॉच की गई उसके पश्चात दिनांक 4.10.2017 को जॉच दल ने जिला रसद अधिकारी जयपुर को रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। जॉच के दौरान अपीलार्थी को नही सुना गया। निष्पक्ष जॉच नही की गई। अपीलार्थी के विरूद्व बदनियती व दुर्भावना रखी गई है। जिला रसद अधिकारी जयपुर ने भी अपीलार्थी को जवाब व दस्तावेजी साक्ष्य पेश करने का अववर नही दिया गया । एकतरफा निर्णय पारित किया गया है। जबकि न्यायिक सिद्वान्त के अनुसार अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर दिया जाना जरूरी था। जॉच दल ने जिन उपभोक्ताओ के बयान दर्ज किये है उन सभी ने शपथ पत्र पेश कर बताया है कि राशन डीलर से हमे कोई शिकायत नही है। जिला रसद अधिकारी महोदय जयपुर ने अपीलार्थी को सुनवाई हेतु अवसर नही दिया है एकतरफा आदेश पारित किया गया है। इसलिए अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.12.2017 को अपास्त फरमाया जाकर प्राधिकार पत्र एवं प्रतिभूति राशि बहाल किये जाने के आदेश फरमावे।

5. प्रत्यर्थी/प्रतिवादी की और से जिला रसद अधिकारी दूदू ने अपीलार्थी के तर्को का खण्डन करते हुए निवेदन किया कि अपीलार्थी द्वारा 15.64 क्विटंल गेहूँ, 227.500 लीटर केरोसीन का दुरूपयोग किया गया है। अपीलार्थी ने प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या 2, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 14.17 (सी) एवं 18 का स्पष्ट उल्लंघन किया है। इसलिए जिला रसद अधिकारी जयपुर

जिला कलक्टर
दूदू (राज0)

Scanned with OKEN Scanner

द्वितीय द्वारा पारित आदेश उचित है । अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज फरमाई जावे।

6 उभयपक्ष की बहस को गौर से सुना गया एवं उस पर मनन किया । पत्रावली का भलीभॉती अवलोकन किया गया।

7. अपीलार्थी पर मुख्य आरोप है कि उसने 15.64 क्विटंल गेहूँ व 227.50 लीटर केरोसीन तेल का दुरूपयोग किया है। जबकि अपीलार्थी का कथन है कि उसको साक्ष्य दस्तावेज पेश करने का मौका नही दिया गया है। अधिनस्थ न्यायालय ने एकतरफा आदेश पारित किया है। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर अपीलार्थी की उपस्थिति के हस्ताक्षर तो है लेकिन जवाब/दस्तावेजात उपलब्ध नही है। वकील अपीलार्थी द्वारा दस्तावेज सूची के साथ प्रस्तुत शपथ पत्रो के अनुसार गवाहो ने भी अपीलार्थी से उन्हे कोई शिकायत नही होना बताया है। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से अपीलार्थी को साक्ष्य/सबूत पेश कर सुनवाई का अवसर नही देना जाहिर होता है। उपरोक्त तथ्यो के विवेचन से अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर दिया जाना न्यायहित में उचित मानते हुए, अपील स्वीकार किया जाना न्यायोचित समझते है।

8. जिला रसद अधिकारी जयपुर द्वितीय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 20.12.2017. को निरस्त किया जाता है अपीलार्थी डीलर का प्राधिकार पत्र व धरोहर राशि बहाल किये जाने का आदेश दिये जाते है।

9. जिला रसद अधिकारी दूदू को प्रकरण प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि यदि कोई अनियमितता मानते है, तो प्रकरण में पुनः जॉच कराकर एवं अपीलार्थी को सुनवाई एव साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने का समुचित अवसर प्रदान कर नये सिरे से विधि सम्मत आदेश पारित करे।

10. निर्णय की प्रति मय मिसल मातहत जिला रसद अधिकारी दूदू को प्रेषित हो। पत्रावली बाद तकमील फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।

11. निर्णय आज दिनांक 13.2.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 अर्तिका शुक्ला)
जिला कलक्टर
जिलाकलक्टर
दूदू (राज0)